न्यायालय अतिरि... कलेक्टर, टोंक
(रामरतन सौंकरिया, ...रा अध्यासित)

प्रकरणसंख्या 03/2018
प्रविष्टि दिनांकः– 28.06.2018

छीतर लाल पुत्र स्व. श्रीनिवास जाति ब्राहमण निवासी नगरफोर्ट तहसील दूनी हाल निवासी 50/484, प्रताप नगर, जयपुर जिला जयपुर (राज०)

............निगरानीकर्ता

बनाम

1. दीपा गोत्तम पत्नि कमलेश गोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी हाल नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोक (राज०)

2. ग्राम पंचायत नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक जरिये सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक (राज०)

..........नॉन रिवीजनर(विपक्षीगण)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत नगरफोर्ट भूमि नियमन पत्र (पट्टा) दिनांक 20.05.2014

उपस्थितः (1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक निगरानीकर्ता
(2) श्री विक्रम जैन, अभिभाषक विपक्षी संख्या 1।

निर्णय

दिनांक 27/6/25

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक ने नॉन रिवीजनर संख्या 1 दीपा गोत्तम पत्नि श्री कमलेश गोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी हाल नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक के हक में पैतृक सम्पत्ति मकान नगरफोर्ट तहसील जिला टोंक जिसका साईज पूर्व पश्चिम 35 फिट व उत्तर दक्षिण 25 फिट व कुल क्षेत्रफल 875 वर्गफिट है, का भूमि नियमन पत्र (पट्टा) दिनांक 20.05.2014 को जारी किया है। उक्त पट्टे को गलत तथ्यों के आधार पर जारी होना बताते हुए निरस्त करवाने हेतु निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से पट्टे संबंधित पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर मूल निगरानी में उभयपक्ष को सुना।

अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त पट्टा विलेख वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत नगरफोर्ट द्वारा उक्त भूमि नियमन पत्र(पट्टा) दिनांक 20.05.2014 गलत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

रूप से बिना तथ्यों का विवेचन एंव मनन किये एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य का भली प्रकार से मनन किये बिना पारित किया है। तथाकथित सम्पति नॉन रिवीजनर संख्या का 1 अकेले का मकान नहीं है, उक्त मकान वाके नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक रिवीजनर संख्या 1 तथा नॉन रिवीजनर संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें श्रीनिवास जी के अन्य उत्तराधिकारी का हिस्सा था। इसके बावजूद ग्राम पंचायत नगरफोर्ट ने बिना तथ्यों की जांच किये नॉन रिवीजनर संख्या 1 के हक में भूमि नियमन पत्र (पट्टा) जारी किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

स्व. श्रीनिवास जी के तीन पुत्र व एक पुत्री थी, जिनमें प्रथम पुत्र श्री गोविन्द नारायण, द्वितीय पुत्र श्री सत्यनारायण, तृतीय पुत्र प्रार्थी एंव एक बहन थी, बहन की शादी हो चुकी थी और तीनों पुत्र राजकीय सेवा में कार्यरत थे। प्रथम पुत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर व द्वितीय पुत्र गिरदावर एवं तृतीय पुत्र विधि सहायक के पद पर सेवारत रहते हुए सेवा निवृत हो चुके है।

श्री गोविन्द नारायण जी एंव श्री सत्यनारायण जी ने अपने जीवन काल में पैतृक सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में परित्याग करते हुए ग्राम नगरफोर्ट में ही अलग से नये मकान बना लिये थे जिनमें निवास कर रहे थे। गोविन्द नारायण जी की मृत्यु हो चुकी है, जो परिवार सहित कोटा में निवास कर रहे हैं और श्री सत्यनारायण जी नगरफोर्ट में ही रह रहे है। विपक्षी संख्या 1 श्री सत्यनारायण जी की पुत्र वधु है।

श्रीनिवास जी की सम्पत्ति स्थित चौहानों की कुई, नगरफोर्ट पर प्रार्थी बहेसियत मालिक एंव काबिज था और सेवारत होने के कारण समय समय पर उत्सव, शादी विवाह व छुट्टीयों में आता रहता था और अपनी सम्पत्ति की देखभाल करता रहता था। इस प्रकार विवादित सम्पत्ति पर प्रार्थी अनन्य रूप से काबिज एंव स्वामी था ।

विपक्षीया नम्बर 1 द्वीपा गौत्तम, श्री सत्यनारायण जी गिरदावर के पुत्र श्री कमलेश गोतम की पत्नि है। द्वीपा गोतम का विवाह दिनाक 12.03.2007 को कमलेश पुत्र सत्यनारायण गोतम निवासी नगरफोर्ट के साथ सम्पन्न हुआ था, उस समय दीपा गोतम केवल मात्र 24 वर्ष की थी। इसके बाद से कमलेश गोतम की पत्नि बन कर ग्राम नगरफोर्ट में निवास कर रही है।

विपक्षी संख्या 1 दीपा गोतम ने एक प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत नगरफोर्ट में वार्ड संख्या 4 में अपने जन्मों की सम्पत्ति बताते हुए विवादित सम्पत्ति का पट्टा बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया, जिस पर कोई तारीख अंकित नहीं है परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत नगरफोर्ट द्वारा रसीद संख्या 156/41 दिंनाक 16.11.2014 पत्रावली संख्या 42/13–14 दिनांक में ओवर हेण्डराईटिंग कर के दर्ज की गई है। उक्त प्रार्थनापत्र विपक्षी संख्या 2 को प्राप्त होने पर पट्टा बनाने की कार्यवाही की गई है परन्तु किसी भी तरह का सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थल पर उक्त भूमि के पट्टा बनाने सम्बन्धित कोई सूचना जारी नहीं की है, ना ही ग्राम नगरफोर्ट में किसी भी माध्यम से ऐलान करवाया है।

उक्त विवादित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत रूप से लिखित रूप में आपत्तियां मांगी जानी चाहिये थी, किन्तु ग्राम पंचायत नगरफोर्ट ने ऐसा नहीं कर गलत रूप से मनमानी कर एवं मिलीभगत कर पट्टा नॉन रिवीजनर के हक में जारी किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

नॉन रिवीजनर ने उक्त भूमि नियमन पत्र (पट्टा) गुपचुप रूप से बिना रिवीजनर को किसी तरह की कोई सूचना दिये एवं कार्यवाही से अवगत कराये विपक्षी संख्या 2 से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

मिलीभगत कर, एवं मौके का बिना निरीक्षण किये गुप चुप तरीके से प्राप्त किया है, जबकि वास्तव में पट्टा बिना मौका का निरीक्षण किये फर्जी मौका रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है, उक्त भूमि नियमन पत्र (पट्टा) नॉन रिवीजनर संख्या 1 ने बिना रिवीजनर को नोटिस दिये व बिना सूचना एंव सुनवाई का अवसर दिये गुपचुप रूप से मकान वाके च्वाहानो का मोहल्ला वार्ड नम्बर 4 नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक जिसका साईज 875 वर्ग फिट होते है का गलत रूप से भूमि नियमन पत्र (पट्टा) जारी किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 1 द्वीपा गोतम की इस समय 35 वर्ष की आयु है तथा दिनांक 12.03.2007 को श्री सत्यनारायण के पुत्र कमलेश गोतम के साथ विवाह हुआ है, ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 विवादित स्थल पर 50 या 25 वर्षों से निवास नहीं कर रही थी, और ना ही ग्राम नगरफोर्ट की निवासी थी। उक्त पंचायत में विपक्षी संख्या 1 दीपा गोतम का पति कमलेश गोतम वार्ड पंच भी था, जिसके प्रभाव में आकर विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ने दिंनाक 20.12.2013 को प्रार्थनापत्र पेश होने पर अल्प संमय मे ही 20.05.2014 को निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

नॉन रिवीजनर संख्या 1 से भूमि नियमन पत्र (पट्टा) हेतु आवेदन पेश होने पर नोटिस जारी किये जाने चाहिये थे तथा रिवीजनर पर किसी तरह के कोई नोटिस तामील कराये व बिना नोटिस जारी किये व बिना किसी तरह की कोई सूचना रिवीजनर को दिये नॉन रिवीजनर संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर केवल कागजी कार्यवाही कर तथ्यों को छुपाकर व रिवीजनर वारीस नहीं बता कर उक्त भूमि नियमन पत्र (पट्टा) जारी कराया गया है, जबकि वास्तव में उक्त भूमि नियमन पत्र (पट्टा) रिवीजनर के हक में जारी किया जाना चाहिये था, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर नॉन रिवीजनर संख्या 1 के हक में जारी पट्टा दिनांक 20.05.2014 को निरस्त किया जावें।

अभिभाषक विपक्षी सं. 1 ने अपनी बहस में निगरानीकर्ता की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक द्वारा नॉन रिवीजनर संख्या 1 के हक में जारी पट्टा दिनांक 20.05.2014 विधिसम्मत हैं। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा समस्त नियमों की पालना की गई है। उक्त मकान विपक्षी सं. 1 का स्वयं का मकान है जिस पर विपक्षी मात्र का ही कब्जा चला आ रहा था। उक्त भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत रूप में लिखित रूप में आपत्तियां मांगी गयी थी परन्तु अन्दर मियाद किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति पेश नहीं की थी। साथ ही पट्टा जारी किए जाने से पूर्व मौके का निरीक्षण भी किया गया था। इस प्रकार उक्त पट्टा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही की जाकर जारी किया गया था। निगरानीकर्ता ने अपने पक्ष में उक्त मकान का हकत्याग होने का भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जाकर विपक्षी को जारी पट्टा यथावत रखा जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक ने नॉन रिवीजनर संख्या 1 दीपा गोत्तम पत्नि श्री कमलेश गोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी हाल नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक (राज०) के हक में मकान नगरफोर्ट तहसील जिला टोंक जिसका साईज पूर्व पश्चिम 35 फिट व उत्तर दक्षिण 25 फिट जिसका कुल क्षेत्रफल 875 वर्गफिट होते है

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

का भूमि नियमन पत्र (पट्टा) दिनांक 20.05.2014 को जारी किया था। उक्त मकान निगरानीकर्ता के पिता श्रीनिवास जी की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर श्रीनिवास जी के समस्त वारिसान का हिस्सा था। हकत्याग संबंधी कोई दस्तवेजात भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत नगरफोर्ट ने बिना तथ्यों की जांच किये नॉन निगरानीकर्ता के पक्ष में सम्पूर्ण मकान का पट्टा जारी कर दिया। नॉन रिवीजनर ने पट्टे के लिए दिए गए आवेदन में उक्त मकान पर जन्म से रहना बताया है जबकि नॉन रिवीजनर का विवाह दिनांक 12.03.2007 को श्री सत्यनारायण के पुत्र कमलेश गोतम के साथ विवाह हुआ है, ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 विवादित स्थल पर जन्म से निवास नहीं कर रही थी, और ना ही ग्राम नगरफोर्ट की निवासी थी। इस प्रकार स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक ने नॉन रिवीजनर संख्या 1 दीपा गोत्तम पत्नि श्री कमलेश गोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी हाल नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक (राज०) के हक में बिना तथ्यों की जांच किए एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना उक्त भूमि नियमन पत्र (पट्टा) दिनांक 20.05.2014 को जारी किया था जिसे निरस्त कर ग्राम पंचायत नगरफोर्ट को पुनःप्रेषित (Remand) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाकर नॉन रिवीजनर संख्या 1 दीपा गोत्तम पत्नि कमलेश गोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी हाल नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक के हक में दिनांक 20.05.2014 को जारी किया गया भूमि नियमन पत्र (पट्टा) निरस्त कर प्रकरण ग्राम पंचायत नगरफोर्ट को इन निर्देशों के साथ पुनःप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं विधिक वारिसान व समस्त तथ्यों/दस्तावेजात की जांच कर नियमानुसार पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 27/6/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अति0 जिला कलेक्टर
टोंक